



मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

CIN : U45203MP2004SGC016758



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक...../स्था/एम.पी.आर.डी.सी./243/22

दिनांक : /10/2022

“आदेश”

परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 एवं 129 के अन्तर्गत दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का पहना जाना अति आवश्यक है के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

तत्संबंध में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके द्वारा कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर आने जाने हेतु दो पहिया वाहन का उपयोग किया जाता है उन सभी के द्वारा हेलमेट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(विकास मिश्रा)

अपर प्रबंध संचालक

पृ. क्रमांक.12810...../स्था/एम.पी.आर.डी.सी./243/22

दिनांक : 27/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, एम.पी.आर.डी.सी., भोपाल।
2. निज सहायक, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, कार्यालय परिवहन आयुक्त म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. सूचना पटल हेतु।

अपर प्रबंध संचालक

एम.पी.आर.डी.सी., भोपाल